श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सरिया के ज्ञापांक सं0 334 दिनांक 21.12.22 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद में संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 9/2/23 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 9/2/23 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

28/3/23 प्रथम पक्ष उपस्थित।

प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

प्रथम पक्ष के अनुसार सरिया अन्तर्गत मौजा-पाण्डे-सरिया ~~दोकरा करी~~ में स्थित खाता-1

अस्वाई

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्लाट - 1358, रकबा - 28 डी. उन्हें भूदान पर्चा के माध्यम से हासिल है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि का पर्चा एवं फार्म -10 प्राप्त है। नामांतरण के पश्चात सरकारी रसीद भी निर्गत हो रही है। उक्त पर्चा प्राप्ति के पश्चात प्रथम पक्ष लगातार उक्त भूमि पर दखलकार रहे हैं। दिनांक - 14.12.2022 को द्वितीय पक्ष जबरन प्रथम पक्ष की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन भूदान पर्चा, फार्म-10 एवं लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया है. द्वितीय पक्ष द्वारा विस्तृत कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार पुश्नागत भूमि उन्हें इन्द्रदेव सिंह से विक्रय पत्र के माध्यम से हासिल है। (विक्रय पत्र सं० - 7911, दिनांक - 22.06.2010)। उक्त भूमि के क्रय के पश्चात द्वितीय पक्ष नामांतरण करवा कर लगान रसीद निर्गत करवाते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं ऑनलाईन पंजी-II	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	की छाया प्रति दाखिल किया गया है। थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय पक्ष के द्वारा गोहाल निर्माण के लिये बुनियाद खोदा जा रहा है। उभय पक्ष द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं कारण पृच्छा से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास भूमि है तथा द्वितीय पक्ष के विक्रेता बजरिये हुकुमनामा हासिल होने की बात करते हैं। इसी आधार पर गैरमजरूआ जमीन की बिक्री द्वितीय पक्ष के पास करते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष 2013 के ~~बाद~~ बाद लगान रसीद नहीं कटवाया गया है जो दखल का एक पुख्ता आधार होता है। साथ ही थाना प्रभारी ने प्रतिवेदित किया है कि गोहाल की नींव खोदने पर द्वितीय पक्ष के द्वारा विवाद प्रारम्भ हुआ, ~~अर्थात्~~ इससे प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि पर दखल-कार नहीं है। उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विरुद्ध निषेधाज्ञा घोषित किया जाता है। उक्त आदेश द.प्र.सं. की धारा 144(4) के तहत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 24/3/23 SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.05.29 15:23:46 +05:30
Location: 192.168.1.6